



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highways Authority of India



(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, (विंग-सी, ८वां तल्ला), सीबीडी/१,

जेएल-२३, एक्शन एरिया - II, न्यू टाऊन, कोलकाता - ७०० १५६

Regional Office - Kolkata, Synthesis Business Park, (Wing-C, 8th Floor),

CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

टेल / Tel : (033) 2324 8081 (EPABX) ईमेल / e-mail : rokolkatta@nhai.org, rokolnhai@gmail.com वेब / Web : www.nhai.gov.in

संदर्भ / Ref. no. NHAI/RO-KOL/001/2025/10/37/ 426

दिनांक / Date 24.04.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण / INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

विषय: पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३४ के कि०मी० २९५.००० से कि०मी० ३९८.००० (फरक्का-राजगंज खंड) तक एनएचडीपी चरण III (पैकेज संख्या एनचडडीपी-III/बीओटी/WB/04) के आधार पर चार लेन चौड़ीकरण के संबंध में:- एन०एच-१२ के दोनों किनारों पर ट्रेचिंग एवं रिफिलिंग विधि द्वारा चैनेज ३३१+४०० से ३३४+६५० तक ११० मीमी व्यास से २५०मीमी व्यास की जल ले जानी वाली पाईप बिछाने एवं पीएचई के मालदा डिवीजन अन्तर्गत ओल्ड मालदा ब्लॉक में कलुआरी पाईप जलापूर्ति योजना अन्तर्गत मौजूदा पुलिया के षिखर के उपर ३३४+५००, ३३४+१००, ३३३+८००, ३३३+५८०, ३३१+६०० ३३२+७०० (जैक पुशिंग) चैनेज पर बिंदु पर एक कासिंग की अनुमति के संबंध में:- Four laning of Farakka-Rajganj Section of NH-34 from Km 295.000 to Km 398.000 in the State of West Bengal on DBFOT Toll Basis under NHDP Phase-III (Package NO NHDP-III/BOT/WB/04): Permission of laying of 110 mm dia to 250 mm dia water carrying pipe from Chainage 331+400 to 334+650 along both the sides of NH-12 by Trenching and refilling method and a crossing at chainage point at 334+500, 334+100, 333+800, 333+580, 331+600 332+700 (Jack pushing) above the crust of an existing culvert under Kaluari Piped water supply scheme at OLD MALDA Block under Malda Division, PHE Dte- reg

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मालदा का पत्र संख्या ६२०१६/१/२०२४-२५/०५-५६/(५६)/२०/१३६८ दिनांक १०.०३.२०२५ के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिए जलापूर्ति विभाग ने उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।/ Project Director, PIU-Malda, NHAI vide letter no. 62016/1/2024-25/AP-PHE/(MLD)/20/1368 dated 10.03.2025 submitted the subject mentioned proposal of PHE Dte for granting license for use of National Highway land.

२. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्लू/एनएच/३३०४४/२९/२०१५/एस एंड आर (आर) दिनांक २२-११-२०१६ के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर ३० दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा।/ As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

३. उपरोक्त विषयांकित सार्वजनिक नोटिस के आलोक के प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से ३० दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी।/ In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

Cont.....2

2-

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं/ The Comments may be submitted at the following address:-

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी (विंग सी, 8वीं मंजिल), सीबीडी/1, जेएल-23, एक्शन एरिया-II, न्यू टाउन, कोलकाता-700156	Chief General Manager (Tech) Regional Office, National Highways Authority of India, Synthesis Business Park, Office Unit - 8C (Wing C, 8 th Floor), CBD/1, JL - 23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700156
---	---

यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) और आरओ-कोलकाता, एनएचएआई के अनुमोदन से है/ This issue with the approval of CGM(Tech) - RO-Kolkata, NHAI.

(एस के बंसल) 2/4/25
महाप्रबंधक (तकनीकी)

प्रतिलिपि:

- वेब प्रशासन, एनएचएआई-मुख्यालय-एनएचएआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित/ Web Admn, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।/ Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
- परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचएआई-मालदा को सूचनार्थ प्रेषित।/ Project Director, PIU-NHAI, Malda - for information.
- अधिशाषी अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, दौलतपुर, पी.एच.ई. कॉम्प्लेक्स, पी.ओ.- मालदा जिला - मालदा, पिन - 732102 /The Executive Engineer, P. H. Engineering Dte, Malda Division, Daulatpur, PHE Complex, P.O- Malda. Dist - Malda, Pin - 732102 - for information.